भारतीय दंड संहिता की धारा 376-ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(1989 का अधिनियम संख्यांक 33)

11 सितम्बर, 1989

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए 1{ विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों} का तथा ऐसे अपराधों से पीडित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुर्नवास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय 1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, और प्रारम्भ.–**
   (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है**;
   (2)इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
   (3)यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।
2. **परिभाषाऐं –** इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (क)**''अत्याचार''** से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;
   (ख)''संहिता'' से दंड प्रक्रिया, 1973(1974 का 2) अभिप्रेत है;
   {(खख) **''आश्रित''** से पीडित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता–पिता, भाई औश्र बहिन अभिप्रेत हैं जो ऐसे पीडित पर अपनी सहायता और भरण–पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं;
   (खग)**''आर्थिक बहिष्कार''** से निम्नलिखित अभिप्रेत है–
   (i) अन्य व्यक्ति से भाडे पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारबार करने से इन्कार करना; या
   (ii) अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिसमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजान्य अवसर सम्मिलित है; या
   (iii)ऐसे निबंधनो पर कोई बात करने से इंकार करना जिन पर कोई बात, कारबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यता की जायगी; या
   (iv) ऐसे वृत्तिक या कारबार संबंधों सं प्रतिविरत रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाऐं;

(खघ) **''अनन्य विशेष न्यायालय''** से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(खङ) **''वन अधिकार ''** का वह अर्थ होगा, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) की धारा 3 की उपधारा(1) में है।

(खच) **''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी''** का वह अर्थ होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियाजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (6) में उसका है।

(खछ) **''लोक सेवक''** से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अधीन यथापरिभाषित, लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है।

(ग) **''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों''** के वही अर्थ है जो संविधानके अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में है।

(घ) '' विशेष न्यायालय'' से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है।

(ङ) **''विशेष लोक अभियोजक''** से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है।

(ङक) **''अनुसूची''** से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(ङख) **''सामाजिक बहिष्कार''** से किसी रूढिगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए, जो अन्य व्यक्ति से बनाये रखे जाऐं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इंकार करना अभिप्रेत है।

(ङग) **''पीडित''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों '' की परिभाषा के भीतर आता है जो अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक या धनीय हानि या उसकी संपति को हानि वहन या धनीय हानि या उसकी संपति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अन्तर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक औश्र विधिक वारिस भी है।

(ङघ) **''साक्षी''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्विलित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखना है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी

देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीडित सम्मिलित है।

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है और, यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित है, वही अर्थ होना समझा जाएगा जो क्रमशः उन अधिनियमितियों में है।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ अधिनियमिति या ऐसा उपबन्ध प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

अत्याचार के अपराध

3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड –

(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है,–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा

(ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश–द्वार पर मल–मूत्र, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा।

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या झुब्ध करने के आशय से उसके पडोस में मल–मूल, कूडा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा।

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्द्धनग्न घुमाएगा।

(ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपडे उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछें हटाना, चेहरा या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरूद्ध हो।

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसकों आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसकों आंवटित किये जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि का अंतरित करा लेगा।

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारियों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जायेगा।

स्पष्टीकरण– खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''सदोष'' पद में निम्नलिखित सम्मिलित है–

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध,

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है या

(ई) ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना,

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ''बेगार'' करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा।

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु–शवों की अंत्येष्टि या ले जाने के लिए या कब्रों को खेदने के लिए विवश करेगा

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन का अनुज्ञात करेगा।

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को, किसी देववासी के रूप में पूजा, मन्दिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यो को अनुज्ञात करेगा

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को निम्नलिखिति के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा–

(अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने

(आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याहृत करने या

(इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नही करेगें,

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्त्तव्यों का कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा।

(ढ) मतदान के पश्चात, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निर्वारित करेगा, जो उसको प्राय्य

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नही करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा।

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा।

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा।

(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा।

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली–गालौच करेगा।

(न) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''वस्तु'' पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है।

(प) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्हों

द्वारा दृश्य रूपण द्वारा अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा।

(फ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा।

(ब)(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुये स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है,

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुये कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यो का अंगविक्षेपो का उपयोग करेगा।

स्पष्टीकरण– उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, 'सहमति' पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना कि किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है।

- **परन्तु** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नही करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकल्प में सहमति के रूप में नही माना जाएगा।
- **परन्तु यह** और कि स्त्री का लैंगिक इतिहास, अपराधी के साथ लैंगिक इतिहास सहित, सहमति विवक्षित नही करता है या अपराध को कम नही करता है।

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किये जाने वाले किसी स्त्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्त्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे यह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणयता उपयोग किया जाता है।

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निर्वारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है।

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोडने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा।

- परन्तु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्त्तव्य के निवर्हन में की गई किसी कार्यवाही को लागू नही होगी

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा,–

(अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान–भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरीता, झरना, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सडक या मार्ग का उपयोग करना।

(आ) साईकिल या मोटश्र साईकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नये कपडे पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोडे या किसी अन्य यान पर आरोहण करना,।

(इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना।

(उ) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है।

(यख) जादू–टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा।

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुम्ब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम की नही होगी किन्तु पांच साल तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है–

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को किसी अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्युदंड से दंडनीय है, दोषसिद्धी कराना है या यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा, और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढे हुये साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता या गढता है, मृत्युदण्ड से दंडनीय होगा।

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदण्ड से दण्डनीय नही है किन्तु **सात वर्ष** या उससे अधिक की अवधि के कारवास से दण्डनीय है दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि **छह मास** से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या यह वह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, यह आजीवन कारावास से और जुर्माने, से दण्डनीय होगा।

(v) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास से दण्डनीय कोई अपराध {किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध यह जानते हुऐ करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है,} वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

{(va) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पति के विरूद्ध, यह जानते हुये करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दण्ड से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।}

(vi) यह जानते हुये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दण्ड के बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा, या

(vii) लोक सेवक होते हुये उस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

4. **कर्त्तव्य उपेक्षा के लिए दण्ड–** कोई भी लोकसेवक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किये जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्त्तव्यों की जानबूझकर अपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि **छह मास** से कम नही होगी, किन्तु जो **एक वर्ष** तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्त्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढकर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना।

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधो के अधीन शिकायत या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना।

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सुचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरन्त प्रदान करना।

(घ) पीडितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना।

(ङ) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना तथा विलम्ब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना।

(च) किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रोनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना,

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना,

- परन्तु लोक सेवक के विरूद्ध इस सम्बन्ध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्त्तव्य की अवहेलना के सम्बन्ध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जायेगा और लोक सेवक के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाहियों के लिए निदेश दिया जायेगा।

5. **पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड.**—कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि **एक वर्ष** से कम की नही होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी दंडनीय होगा।
6. **भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना** —इस अधिनियम के अन्य उपबंधज्ञें के अधीन रहते हुये, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 औश्र अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते है।
7. **कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण.—**

   (i)जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों, जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जायेगी।

   (ii) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जायेगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह उस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
8. **अपराधों के बारे में उपधारणा.— इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि—**

   (क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के {अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किये गये अपराधों के

सम्बन्ध में कोई वित्तिय सहायता की है} तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है।

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जायेगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

(ग) अभियुक्त, पीडित या उसके कुटुम्ब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो, अभियुक्त को पीडित की जाति या जनजातिय पहचान का ज्ञान था।

9. शक्तियों का प्रदान किया जाना–(1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह–

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अपराध के निवारण के लिए और उससे निपटने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए,

किसी जिले या उसके किसी भग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जल या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबन्धों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेगें।

(3) संहिता के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होगें।

अध्याय 3

निष्कासन

10. ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किये जाने की संभावना है.–

(1) जहां विशेष न्यायालय का, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (vii) के उपबन्धों के अधीन पहचान किये गये किसी क्षेत्र में यथानिर्दिष्ट 'अनुसूचित क्षेत्रों ' या 'जनजाति क्षेत्रों' में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए और तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था, वापस न लौटे।

(2) विशेष न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है।

(3) विशेष न्यायालय, उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरूद्ध ऐसा आदेश किया गया है, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किये गये अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे उपधारा (1) के अधीन किये गए आदेश को प्रतिसहृंत या उपान्तरित कर सकेगा।

11. किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने को दशा में प्रक्रिया–

(1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए निर्देश जारी किया गया है–

(क) निर्देश किये गए रूप में हटने में असफल रहता है, या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय को लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है,

तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लौट सकता है और अधिरोपित शर्तो के सम्यक्

अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभ् सहित या उसके बिना, बंधपत्र निष्पादित करे।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसह्रंत कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिए निर्देश दिया गया था, अधिरोपित शर्तो का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंह्रत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जायेगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवरित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नही लौटेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तो में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

12. ऐसे व्यक्तियों के, जिनके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना–

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप या फोटो लेने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इंकार करता है, तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंह्रत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन लिए गए सभी माप और फोटो (जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी है) नष्ट कर दिए जाएंगे या उससे व्यक्ति को सौंप दिये जाएंगे जिसके विरूद्ध आदेश किया गया था।

13. धारा 10 के अधीन आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति – जो धारा 10 के अधीन किये गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारवास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

अध्याय 4

विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय

14. विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय

(1) राज्य सरकार शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी :

परन्तु ऐसे जिलों जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए है, वहां राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगीः

परन्तु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव, दो माह की अवधि के भीतर निपटाए गये है।

(3) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां, दिन–प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा न हो जाए, जब तक कि विशेष न्यायालय का अनन्य विशेष न्यायालय, अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नही पाता होः

परन्तु जब विचारण, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण, यथासंभव, आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा।

{14 क. अपीलें–(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी, किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय , दंडादेश या आदेश, जो अंतवर्ती आदेश नही है, के विरूद्ध अपील तथ्यों और विधि के सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय में होगी।

(2)दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378 की उपधारा(3) मे किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मुजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(3) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय, दण्डावेश या आदेश से, जिससे अपील की गई है, नब्बे दिन के भीतर की जाएगी।

. परन्तु उच्च न्यायालय, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास नब्बे दिन के भीतर अपील नही करने का प्रर्याप्त कारण था :

. परन्तु यह और कि कोई अपील, एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नही की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा, यथासम्भव, अपील ग्रहण करने की तारीख से **तीन मास** की अवधि के भीतर होगा।

15. विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक–

(1) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक सेवक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी।

अध्याय 4–क

पीडित और साक्षी के अधिकार

15 क. पीडित और साक्षी के अधिकार–

(1) राज्य का, किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीडन या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरूद्ध पीडितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा।

(2) पीडित के निष्पक्षता, सम्मान और गरीमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ, जो पीडित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा।

(3) किसी पीडित या उसके आश्रित को, किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीडित को इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के बारे में सूचित करेगी।

(4) किसी पीडित या उसके आश्रित को, यथास्थिति, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किन्ही दस्तावेजों या सारवान साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) कोई पीडित या उसका आश्रित, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्धदोष या दंडदिष्ट या सिद्धदोष, दोषमुक्त या दंडादिष्ट पर या किसी संबद्ध कार्यवाहियों या बहसों और सिद्धदोष करने के सम्बन्ध में कोई संबद्ध कार्यवाहियों या बहसें और कार्यवाहियों में सुने जाने का हकदार होगा।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा,–

(क) न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण

(ख) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक

(ग) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास, और

(घ) पुनःअवस्थान

(7) राज्य, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीडित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किये गये संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा।

(8) उपधारा (6) के उपबंधो कर व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष किन्ही कार्यवाहियों में किसी पीडित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीडित, सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किये गये आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है, कर सकेगा,–

(क) जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्ही अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों को छुपाना।

(ख) साक्षियों को पहचाना और पतों का अप्रकटन करने के लिए निदेश जारी करना।

(ग) पीडित, सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीडन से सम्बन्धित किसी शिकायत के संबंध में तुरन्त कार्यवाही करना और उसी दिन, यदि आवश्यक हो, संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारीत करना।

. परन्तु खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त शिकायतों में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक, रूप से विचारित किया जायेगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर किया जायेगा।
. परन्तु यह और कि जहां खंड (ग) के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरूद्ध, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक को, न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय, लम्बित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में यथास्थिति, पीडित, सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरूद्ध करेगा।

(9) अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का पीडित, सूचनाकर्ता या साक्षियों की अभित्रास, प्रपीडन या उत्प्रेरण या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरूद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित मे दी गई, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरन्त निःशुल्क दी जायेगी।

(10) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियां विडियों अभिलिखित होगा।

(11) संबद्ध राज्य का, न्याय प्राप्त करने में पीडितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिससे–

(क) अभिलिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की निःशुल्क प्रदान की जा सके,

(ख) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु में तुरन्त राहत प्रदान की जा सके,

(ग) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके,

(घ) मृत्यु या उपहति या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके,

(ङ) पीडितों को खाद्य या जल या कपडे या आश्रय या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रति दिन भत्तों की व्यवस्था की जा सके।

(च) अत्याचार से पीडितों और उनके आश्रितों को भरण पोषण व्यय प्रदान किया जा सके।

(छ) शिकायत करने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीडितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके।

(ज) अभित्रास तथा उत्पीडन के अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

(झ) अन्वेषण और आरोपपत्र की प्रास्थिति पर अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनो को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोपपत्र की प्रति प्रदान की जा सके।

(ञ) चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वावधानियां की जा सके।

(ट) राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके।

(ठ) अन्वेषण औश्र विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनो को जानकारी प्रदान की जा सके।

(ड) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनो या व्यष्टिकों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथ उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके।

(ढ) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनो या व्यष्टिकों के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके,

(12) अत्याचार से पीडितों या उनके आश्रितों का गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

16. राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति –सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10 क के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होगें।

17. विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही–

(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस–उपअधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसुचित जनजाति के नही है और जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते है या बार–बार आते–जाते है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होने अपराध करने की धमकी दी है और यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार –ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और निवारक कार्यवाही कर सकेगा।

(2) संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए होगें लागू होगें।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुये बना सकेगी जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवरण के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए ऐसी स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्यवाही करेगें।

18. अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना–संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नही होगी।

19. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना–संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के संबंध में लागू नही होगें जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।

20. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना– इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या किसी रूढि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगें।

21. अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य–

(1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों।

(2) विशिष्टयता और पूर्वगामी उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अन्तर्गत निम्नलिखित हो सकेगा–

(i) ऐसे व्यक्तियों को जिन पर अत्याचार हुआ है, न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों जिनके अंतर्गत अत्याचार से पीडित व्यक्ति भी है, यात्रा और भरण–पोषण के व्यय की व्यवस्था।

(iii) अत्याचारों से पीडित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरूद्धार की व्यवस्था।

(iv) इस अधिनियम के उपबंधो के उल्लघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति,।

(v) ऐसे समुचित स्तरों पर, जो राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना।

(vi) इस अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय–समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था।

(vii) उन क्षेत्रो की पहचान करना जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना है और ऐसे उपाय करना जिससे कि ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किये गए उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हों।

(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन पटल पर इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में स्वंय उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी।

22. सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण–इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध या राज्य

सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नही होगी।

23. नियम बनाने की शक्ति –

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हों, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रो में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप मे ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नही बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा।